अनुदान संख्या 93 – जनजातीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 93–MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*1489,29,00*		*1507,71,00*	*1357,17,61*	*–150,53,39*
पूरक	*Supplementary*	*18,42,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*150,50,99*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	207,73,00		207,76,00	176,24,75	–31,51,25
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					30,97,98
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted -			35,02,00	. .	–35,02,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					35,02,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (15053.39 *लाख रु.)* नवम्बर, 2007 में प्राप्त किए गए *1842.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 10 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*Rs.15053.39 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.1842.00 lakhs* obtained in November, 2007 and constituted 10 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*148929.00*	*135720.01*	*135717.61*	*–2.40*
पू.	*S.*	*1842.00*			
पु.	*R.*	*–15050.99*			

(I) ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''जनजातीय उप योजना के अंतर्गत स्कीम'' - *13844.57 लाख रु.* की बचत (*81671.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के संबंध में कुछ राज्यों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की टिप्पणियों सहित परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन स्कीम'' - *972.31 लाख रु.* की बचत (*40000.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(II) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा - लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान'' - *152.00 लाख रु.* की बचत (*2000.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) प्रस्तावों के देर से प्राप्त होने के कारण हुई।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(I) Under "Grants for State Plan Schemes – Grant under Proviso to Article 275(1) of the Constitution"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Scheme under Tribal Sub-Plan" - saving of *Rs.13844.57 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.81671.00 lakhs*) was due to non-receipt of utilisation certificates from some States in respect of Special Centre Assistance to Tribal Sub Plan and delayed receipt of project proposals with comments of Ministry of Environment and Forests.

(B) "Scheme under Proviso to Article 275(1) of the Constitution" - saving of *Rs.972.31 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.40000.00 lakhs*) was due to non- submission of utilisation certificates by the State Governments.

(II) "Grants for Central Plan Schemes – Welfare of Schedule Tribes – Education - Grants-in-aid to State Tribal Development Cooperative Corporations for Minor Forest Produce" - saving of *Rs.152.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.2000.00 lakhs*) was due to late receipt of proposals.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष ''2251'' सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat - Social Services				
मू.	O.	795.00	690.58	693.86	+3.28
पु.	R.	–104.42			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	14926.00			
पू.	S.	3.00	12682.04	12625.39	–56.65
पु.	R.	–2246.96			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	5030.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–5030.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
पु.	R.	4305.00	4305.00	4305.00	. .

(I) 5176.50 लाख रु. का प्रावधान (नवम्बर, 2007 में एक शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त किए गए 0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 4830.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" - "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "कोचिंग और अनुषंगी स्कीम तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान" - 400.00 लाख रु.;

(खा) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृति स्कीम, बुक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन" - 3980.00 लाख रु.; और

(गा) "अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावासों की स्कीम"- 250.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.5176.50 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh obtained in November, 2007 under one head) remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.4830.00 lakhs accounted for under Major Head '2552"- "Welfare of Scheduled Tribes-Education" – under the following heads:-

(A) "Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Schemes and Award for Exemplary Service" – Rs.400.00 lakhs;

(B) "Scheme of Post Matric Scholarships, Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students"- Rs.3980.00 lakhs; and

(C) "Scheme of Hostels for ST Girls and Boys" - Rs.250.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) ''लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान'' - 200.00 लाख रु. प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - जनजातीय कार्य मंत्रालय'' के अंतर्गत 101.14 लाख रु. की बचत (795.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2225'' -''अनुसूचित जनजातियों का कल्याण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग'' के अंतर्गत 174.42 लाख रु. की बचत (432.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''आर्थिक विकास - जनजातीय उत्पादों/उत्पाद का बाजार विकास'' - 948.66 लाख रु. की बचत (अगस्त, 2007 में प्राप्त किए गए 0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 2999.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का विलंब से संशोधन किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''शिक्षा'' -

(क) ''मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम, बुक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन'' - 124.62 लाख रु. की बचत (125.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) ''उत्कृष्ट/उच्च कोटि शिक्षा के संस्थानों की स्कीम'' - 895.10 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(D) "Grants-in-aid to State Tribal Development Cooperative Corporations for Minor Forest Produce"-Rs.200.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat – Ministry of Tribal Affairs" – saving of Rs.101.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.795.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of purchase of I.T. equipments and economy measures.

(III) Under Major Head "2225"- "Welfare of Scheduled Tribes"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - National Commission for Scheduled Tribes" - saving of Rs.174.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.432.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(B) "Economic Development - Market Development of Tribal Products/Produce" – saving of Rs.948.66 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2999.50 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh obtained in August, 2007) was due to late revision of scheme.

(C) "Education" –

(a) "Scheme of Post Matric Scholarship Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students" – saving of Rs.124.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.125.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from UT Administrations.

(b) "Scheme of Institutes of Excellence/Top Class Education" - saving of Rs.895.10 lakhs (against the sanctioned provision of

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति'' - 176.41 लाख रु. की बचत (190.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम में संशोधन किए जाने और छात्रवृत्तियों के लिए कम उम्मीदवारों के होने के कारण हुई।

(ख) ''अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय त्योहार और अन्य'' - 155.11 लाख रु. की बचत (अगस्त, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 324.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने और स्कीम को विलंब से आरंभ किए जाने के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2225'' - ''अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - अन्य व्यय - कोचिंग और अनुषंगी स्कीम तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान'' - 399.93 लाख रु. का अधिक व्यय (3050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा'' -

(क) ''मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम, बुक बैंक और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन'' - 3980.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावास स्कीम'' - 250.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

Rs.1000.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the Institutes.

(D) "Other Expenditure" -

(a) "Scholarship to the Students of Scheduled Tribes for Studies Abroad" – saving of Rs.176.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.190.00 lakhs) was due to revision of the scheme and joining of few candidates for scholarships.

(b) "Research Information and Mass Education, Tribal Festivals and Others" - saving of Rs.155.11 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.324.50 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh obtained in August, 2007 and March, 2008) was due to non-receipt of adequate proposals and late start of the scheme.

3.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Tribes – Other Expenditure – Grants-in-aid to NGOs for STs including Coaching and Allied Scheme and Award for Exemplary Service" - excess of Rs.399.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3050.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601" -"Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Scheduled Tribes - Education"-

(a) "Schemes of PMS, Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students" – excess of Rs.3980.00 lakhs (against nil provision); and

(b) "Scheme of Hostels for ST Girls and Boys" – excess of Rs.250.00 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत जहां समस्त व्यय निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया, 75.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ।

(II) Under one head excess of Rs.75.00 lakhs occurred where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

4. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4225'' अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	3502.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–3502.00			

(I) 3502.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3500.00 लाख रु. अकेले ''सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता'' के अंतर्गत व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए और अंतत: इसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

(I) Provision of Rs.3502.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.3500.00 lakhs alone accounted for under "General – Investment in Public Sector and Other Undertakings - Support to National/State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation" - due to non-approval of the scheme by the Expenditure Finance Committee and was eventually surrendered.